



**-:प्रेस नोट:-**

दिनांक- 17.01.2025

## **कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा**

❖ आपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 04 मामलों में कुल 04 अभियुक्तों को कारावास व 12500/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

**विवरण**– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 04 मामलों में कुल 04 अभियुक्तों को कारावास व 12500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

### **अभियोग-**

1. थाना पैलानी में पंजीकृत अभियोग- 155/08 धारा 379/411 भादवि के अभियुक्त बिंदा निषाद पुत्र भिखुवा निषाद निवासी कुकुवा थाना पैलानी जनपद बांदा को **5000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
2. थाना जसपुरा में पंजीकृत अभियोग- 42/03 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त चन्द्रपाल पुत्र चौधी निवासी टेढ़ा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को जेल में अवधि (221 दिन) तथा **1000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
3. थाना बिसण्डा में पंजीकृत अभियोग- 491/96 धारा 379/411 भादवि के अभियुक्त हफीज पुत्र मिट्टा मुसलमान निवासी कुरही थाना बिसण्डा जनपद बांदा को **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
4. थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत अभियोग- 246/10 धारा 279/304ए भादवि के अभियुक्त शन्तु शर्मा पुत्र रामपाल शर्मा निवासी थरियाना जनपद महोबा को 02 वर्ष के साधारण कारावास व **4500/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।